



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 04/03/23

**थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

हरीश पुत्र शिव कुमार निवासी मीतली थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री विनोद शर्मा थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत।
- 2.का0 229 देवेश कसाना थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत ।



प्रेस नोट  
थाना छपरौली

दिनांक 04-03-2023

थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गौरव पुत्र उमर सिंह निवासी ग्राम नांगल थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री बृजेश पूनिया थाना छपरौली ।
- 2-है0का0 351 पवन नांगर थाना छपरौली ।
- 3-है0का0 353 नरेश कुमार थाना छपरौली ।



प्रेस नोट  
थाना छपरौली

दिनांक 04-03-2023

थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अंकित पुत्र जोगिन्दर निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री बृजेश पूनिया थाना छपरौली ।
- 2-है0का0 351 पवन नांगर थाना छपरौली ।
- 3-है0का0 353 नरेश कुमार थाना छपरौली ।



प्रेस नोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 04.03.2023

हत्या की घटना कारित करने वाले आरोपी संजय को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ सश्रम आजीवन कारावास व 23 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

### कार्यवाही –

अवगत कराना है कि अभियुक्त संजय पुत्र जयप्रकाश निवासी कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2011 में वादी शमीम पुत्र फैजली निवासी कस्बा रटौल जनपद बागपत के पिता की हत्या की घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0- 401/11 धारा 302/307 भादवि व मु0अ0सं0 421/2011 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ था । इन अभियोगों में मॉनिटरिंग सैल व अभियोजन पक्ष द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 04.03.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट नं0 02 स्पेशल कोर्ट एससी/एसटी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त संजय को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड व धारा 25 आर्म्स एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 03 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

### दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

संजय पुत्र जयप्रकाश निवासी कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

### अभियुक्त संजय का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 441/07 धारा 302 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 448/07 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 77/08 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 401/11 धारा 302/307 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0 421/11 धारा 25 शस्त्र अधिनियम थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट  
थाना दोघट

दिनांक-04.03.2023

थाना दोघट पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



**गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-**

राहुल पुत्र सलेकचन्द निवासी पट्टी तिरोसिया कस्बा दोघट जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-उ0नि0 श्री हरवीर सिंह ।

2-का0 922 अनुज कुमार ।